

No. G-4(vi)/DJB/Dir.(A&P)/2018/08-CM/Unst. 213
DELHI JAL BOARD, GOVT. OF NCT OF DELHI
OFFICE OF THE DIRECTOR (ADMN. & PERSONNEL)
VARUNALAYA PHASE-II, KAROL BAGH, NEW DELHI – 110 005

Dated .03.2018

To

Shri Mahendra Gupta
Dy. Secretary, (Question Branch),
Delhi Vidhan Sabha Secretariat,
Old Secretariat, Delhi – 110054.

**Subject:- Vidhan Sabha Unstarred Question No. 213 due for
22.03.2018 asked by Shri Mahendra Goel, MLA.**

Sir,

Kind attention is invited towards letter no. F. 11(B-I)VI/2015-20/VSS/Ques. Branch dated 12.03.2018 on the above quoted subject.

In this connection I am enclosing herewith the reply of the
aforementioned Vidhan Sabha Question in so far as the Delhi Jal Board is
concerned.

This issues with due approval of the Hon'ble Minister of Water, Govt. of
NCT of Delhi.

Encl: As above.

sd/-
(Paras Ram)

Jt. Director (Admn.)

Tel. No. 23544794(O)/Fax no. 23621738

Copy to:

1. Secretary to Minister of Water, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi – 110002.
2. Secretary to CEO, Delhi Jal Board.
3. Member (A), Delhi Jal Board.
4. Director (A&P), Delhi Jal Board.
5. CNO (W)
6. Dy. Director, Directorate of Information & Publicity, Block No. IX, Old Secretariat
7. Office Copy.

Jt. Director (Admn.)

PARAS RAM
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
Jt. Director (Admn.)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi

विभाग का नाम :- दिल्ली जल बोर्ड

विभाग का पता :- निदेशक (प्रशासनिक एवं कार्मिक)

वरुणालय फेज - 2, करोल बाग, नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न संख्या :- 213

दिनांक :- 22.03.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री महेन्द्र गोयल, विधायक

क्या मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

अ. क्र.	प्रश्न	उत्तर
(क)	क्या यह सत्य है कि सेक्टर 16 रोहिणी में एक यूजीआर का निर्माण होना है;	जी हाँ।
(ख)	क्या यह भी सत्य है कि क्षेत्र की समस्या को देखते हुए यह कार्य जल्द से जल्द होना जरूरी है;	इस क्षेत्र के लिए स्वीकृत योजना के अनुसार इस यूजीआर. का निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाना था
(ग)	यदि हां, तो इस संबंध में विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?	इस कार्य के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ स्थल का निरीक्षण करके यूजीआर बनाने के लिए जगह चिन्हित कर दी गई है। शेष कार्यवाही डी.डी.ए. द्वारा की जानी हैं।

संयुक्त निदेशक (प्रशा.)

पारस राम
PARAS RAM
संयुक्त निदेशक (प्रशा.)
Jt. Director (Admn.)
दिल्ली जल बोर्ड, दिल्ली सरकार
D.J.B., Govt. of NCT of Delhi